वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Email:connectpuregistrar@gmail.com
Fax.: (05452) 252344,252244
Web: www.vbspu.ac.in

पत्रांक : 12248 / सामा०प्रशा० / 2026 दिनांक 16.05.2026

कार्यालय–आदेश

मा० प्रधानमंत्री जी के उर्जा बचत पर सन्देश एवं मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्चुअल बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में मा० कुलपति जी के द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुपालनार्थ निम्नलिखित आदेश दिये गये हैं:–

1. दिनांक 18.05.2026 से अग्रिम आदेश तक विश्वविद्यालय में सोमवार से शुक्रवार तक 05 दिवसीय कार्य–सप्ताह लागू होगा, जिसमें सुबह 09:30 से शाम 06:00 तक कार्यालय एवं कक्षाएं संचालित की जायेंगी तथा अपरान्ह 01:30 से अपरान्ह 02:00 बजे तक भोजन मध्यावकाश रहेगा। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार यथावत चलती रहेंगी।

2. मा0 कुलपति जी के अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसर में आवासित समस्त शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र–छात्राएं कार्यालय / कक्षाओं में पहुँचने के लिए यथासम्भव पैदल / साइकिल अथवा वाहनों को साझा करेंगे तथा विश्वविद्यालय परिसर के बाहर से आने वाले कार्मिक यथासम्भव ई–रिक्शा, ई–कार आदि इलेक्ट्रिक वाहनों, सार्वजनिक बस एवं विश्वविद्यालयी बस का प्रयोग करेंगे। अधिक दूरी की यात्रा हेतु सार्वजनिक यातायात के साधनों यथा बस, रेल आदि का प्रयोग करेंगे।

3. विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले सभी सेमिनार / मीटिंग वर्चुअल मोड में की जायेगी एवं समस्त शैक्षिक टूर अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेंगे।

4. विद्युत का उपयोग कम करने हेतु ए0सी0 आदि का उपयोग कम करेंगे तथा ए0सी0 का तापमान न्यूनतम 25–26 डिग्री सेल्सियस तक रखेगें। साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं उर्जा बचत हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जन–जागरूकता का प्रयास करेंगे।

16.05.26

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक / वित्त अधिकारी।
2. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक / प्रभारी।
3. समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बद्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
4. समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / प्रशासनिक अधिकारी / कर्मचारीगण।
5. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6. वेबमास्टर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. विश्वविद्यालय बस वाहन चालक को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशानुसार बस का परिचालन समय से सुनिश्चित करें।

कुलसचिव